कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)
E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माचि/ 2905 रायसेन, दिनांक 01/08/2018

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक
म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड,
सामान्य वनमण्डल रायसेन म0प्र0।

विषय :- रायसेन जिले के ग्राम खरबई मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु 150.000 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/820/2018/10-11/2215 दिनांक 25.07.2018

--- 00 ---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि रायसेन जिले के ग्राम खरबई मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत 150.000 हेक्टेयर वन भूमि मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F-NO-8-22/2018-FC दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धान्तिक सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित निम्नानुसार शर्तो मे आवेदक संस्थान से राशि प्राप्त की जानी है का विवरण निम्नानुसार है। :-

शर्त क्रमांक-5

रायसेन जिले के ग्राम खरबई मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत प्रस्तावित व्यपवर्तित 150.000 हेक्टेयर वन भूमि के विरूद्ध Construction activities for devlopment of Zoo and Rescueenter हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत क्षेत्र जो कि 22.500 हेक्टेयर होता है जिसके विरूद्ध परिक्षेत्र पश्चिम रायसेन के अंतर्गत 45.000 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वनक्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। सामान्य वन मण्डल रायसेन द्वारा उपरोक्त बिगड़े वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं रखरखाब की वर्तमान में जारी दिशा निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-11/भू-प्रबंध/2017/891 दिनांक 01.04.2017 से प्राप्त निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। **दुगने बिगड़े वनक्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण (सी.ए.) की राशि 9994599/- निर्धारित है।** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/2013/1223 दिनांक 03.04.2013 एवं पत्र क्रमाक/एफ-10/ बजट/2013/1325 दिनांक 12.04.2013 से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में समाहित पर्यवेक्षण शुल्क 908600/- को राजस्व मद में जमा किया जाना है इस हेतु इस कार्यालय द्वारा पृथक से मांग पत्र जारी किया जा रहा है।

इस प्रकार अब वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि 9085999/- का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु उपरोक्त भुगतान MoEF की website www.forestsclearance.nic.in पर जाकर करना सुनिश्चित करें। तथा पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा करने हेतु पृथक से इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी किया जा रहा है।

शर्त क्रमांक-7

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 7 के पालन मे परिक्षेत्र पश्चिम रायसेन के कक्ष क्रमांक आरएफ-337, 338, 339 के 01 हेक्टेयर मे सड़क किनारे 5 से 7 लाईन मे टॉल ट्री प्लानटेशन का कार्य कराया जाना प्रावधानित है इस हेतु तैयार की गई 5 वर्षीय **टॉल ट्री प्लानटेशन की कार्य योजना अनुसार राशि 1320000/- प्रावधानित है** इस राशि का भुगतान भी ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

शर्त क्रमांक–4 एवं 10

रायसेन जिले के ग्राम खरबई मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत प्रस्तावित व्यपवर्तित 150.000 हेक्टेयर वन भूमि के विरूद्ध 15 प्रतिशत वन भूमि पर एन.पी.व्ही. की राशि वसूल किया जाना है। इस हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत क्षेत्र जो कि 22.500 हेक्टेयर होता है जिस पर नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि वसूल की जानी है। नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन.पी.व्ही.) की राशि जमा करने के संबंध में प्रकरण के संबंध में म0प्र0 शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा वनों की ईको वैल्यू श्रेणी (वनो के प्रकार व घनत्व के आधार पर) अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (एन.पी.व्ही.) की राशि का निर्धारण किया गया है परियोजना से संबंधित कक्ष क्रमांको (आरएफ–337, 338) में वनो की ईको वैल्यू श्रेणी ऊष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा वनों का घनत्व 0.2 से 0.4 तक है अतः एन.पी.व्ही. की राशि 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 22.500 हेक्टेयर की राशि 14085000/– देय होगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–11/भू–प्रबंध/2017/891 दिनांक 01.04.2017 से प्राप्त निर्देशानुसार **उपरोक्त भुगतान MoEF की website www.forestsclearance.nic.in पर जाकर करना सुनिश्चित करें।**

इस प्रकार निम्नानुसार राशि ई–पोर्टल के मधायम से कैम्पा मद मे ऑन लाईन जमा की जानी है।

1	**दुगने बिगड़े वनक्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण (सी.ए.) की राशि**	**9085999/–**
2	**टॉल ट्री प्लानटेशन की राशि**	**1320000/–**
3	**एन.पी.व्ही. की राशि**	**14085000/–**
	कुल योग	**24490999/–**

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उपरोक्त शर्त क्रमांक 5, 07 एवं 04,10 से हटकर शेष शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के 5–5 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्र) म0प्र0 भोपाल को प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

पृ.क्रमांक/माचि/ 2906 रायसेन, दिनांक 01/08/2018

प्रतिलिपि :–

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्र) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांकएफ–5/820/2018/10–11/2215 दिनांक 25.07.2018 के संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड म0प्र0 भोपाल की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्र) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र के पृ0 के संबंध में सूचनार्थ संप्रेषित।

3 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्र) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र के पृ0 के संबंध में सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन